**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1470**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ नुकसान**

**1470. डा॰ किरोड़ी लाल मीणाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) विगत दो वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश में मारे गए और लापता हुए व्यक्तियों तथा मरने वाले पशुओं की संख्या और क्षतिग्रस्त हुई सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है;**

**(ख) क्या सरकार ने प्रभावित राज्यों में क्षति का आंकलन करने के लिए कोई केन्द्रीय दल नियुक्त किया है; और**

**(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क): यह मंत्रालय प्राकृतिक आपदाओं के कारण लापता हुए लोगों की संख्या से संबंधित आंकड़े केंद्रीकृत रूप से नहीं रखता है। तथापि, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण मारे गए लोगों, पशुओं और क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या तथा क्षतिग्रस्त फसलों से संबंधित ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) और (ग): केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, गंभीर प्रकृति की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने के पश्चात राज्यों से ज्ञापन प्राप्त होने से पूर्व अब तत्काल अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमें (आईएमसीटी) नियुक्त की जाती हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान गृह मंत्रालय ने विभिन्न आपदाओं से उत्पन्न जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए विभिन्न राज्यों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 16 आईएमसीटी नियुक्त की हैं और आईएमसीटी द्वारा किए गए आकलन के आधार पर तथा उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के अनुमोदन के पश्चात, दिनांक 27.02.2020 की स्थिति के अनुसार 06 आपदा प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से 8184.53 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। आईएमसीटी ने शेष अन्य राज्यों के संदर्भ में भी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं, जिन पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप समिति (एससी-एनईसी) द्वारा पहले ही विचार किया गया है। एचएलसी द्वारा एससी-एनईसी की सिफारिशों पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है।

\*\*\*\*\*\*\*

|  |
| --- |
| **-2-****अनुलग्नक****रा.स. अता. प्र.सं., 1470 दिनांक 04.03.2020** **वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान चक्रवाती तूफान/भारी वर्षा/बाढ़/भूस्खलन/भूकंप आदि के कारण हुए नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा** |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **2018-19** | **2019-20 (दिनांक 20.02.2020 की स्थिति के अनुसार अनंतिम)** |
|   |   | **जीवन हानि (सं.)** | **पशु हानि (सं.)** | **क्षतिग्रस्त मकान (सं.)** | **फसली क्षेत्र (लाख हेक्टे.)** | **जीवन हानि (सं.)** | **पशु हानि (सं.)** | **क्षतिग्रस्त मकान (सं.)** | **फसली क्षेत्र (लाख हेक्टे.)** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 81 | 5884 | 47855 | 1.67 |  - |  - |  - |  - |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 33 | 47 | 1647 | 0.007 | 7 | 23 | 377 |  - |
| 3 | असम | 53 | 122 | 77948 | 0.31 | 101 | 250 | 140440 | 2 |
| 4 | बिहार |  - |  - | 920 |  - | 133 | 80 | 45355 | 2.61 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 23 | 11 | 145 |  - | 15 | 96 | 1246 | 0.018 |
| 6 | गोवा |  - |  - | 74 |  - | 2 |   | 540 |  - |
| 7 | गुजरात | 72 | 361 | 5202 |   | 195 | 848 | 5318 |  - |
| 8 | हरियाणा | 3 | 2 | 43 |  - | 7 |  - | 1 |  - |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 429 | 416 | 5886 | 0.45 | 86 | 555 | 2940 |  - |
| 10 | झारखंड |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| 11 | कर्नाटक | 67 | 240 | 7865 | 3.63 | 91 | 59600 | 115792 | 9.35 |
| 12 | केरल | 455 | 76830 | 654062 | 1 | 125 | 829 | 30039 | 0.36 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 31 | 2 | 191 |  - | 674 | 1700 | 51830 | 60.47 |
| 14 | महाराष्ट्र | 101 | 1560 |  - |  - | 253 | 4230 | 109714 | 4.17 |
| 15 | मणिपुर | 25 | 142 | 10820 | 0.06 |  - |  - |  - |  - |
| 16 | मेघालय | 7 | 4632 | 13100 | 0.02 | 23 |   | 37771 |  - |
| 17 | मिजोरम | 22 |  - |  - |  - | 3 |   | 1523 |  - |
| 18 | नागालैंड | 19 | 896 | 5202 | 0.05 | 19 | 5 | 1458 |  - |
| 19 | ओडिशा | 94 | 4812 | 62341 | 3.9 | 13 | 136 | 5139 | 1.49 |
| 20 | पंजाब | 35 | 29 | 229 | 0.52 | 20 | 615 | 2618 | 1.51 |
| 21 | राजस्थान  | 29 | 8 |  - |  - | 126 | 314 | 27284 | 23.92 |
| 22 | सिक्किम | 4 |  - | 83 |  - | 6 | 1304 | 485 |  - |
| 23 | तमिलनाडु | 164 | 21790 | 567453 | 1.22 | 25 | 70 | 1158 |  - |
| 24 | तेलंगाना | 9 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| 25 | त्रिपुरा | 22 | 4167 | 40897 | 0.32 | 8 | 15 | 44963 | 0.014 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 105 | 140 | 28063 | 2.9 | 166 | 297 | 33986 | 8.3 |
| 27 | उत्तराखंड | 103 | 770 | 2648 | 0.55 | 80 | 400 | 814 | 0.003 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 383 | 93 | 23964 | 0.49 | 227 | 382 | 83787 | 0.08 |
| 29 | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र | 31 | 32 | 42 |  - | 17 | 6 | 11 |  - |
| 30 | पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र |  - | 28 | 1228 |  - |  - |  - |  - |  - |
| 31 | लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
|   | **कुल** | **2400** | **123014** | **1557908** | **17.097** | **2422** | **71755** | **744589** | **114.295** |

\*\*\*\*\*\*